प्ररूप – 7

[नियम 13 (च) (ii) देखें]

पति के वीर्य या शुक्राणु के साथ आईयूआई या आईसीएसआई या आईवीएफ़ के लिए सहमति

___________________________ और _____________________________, पति और पत्नी होने के नाते और दोनों विधिक आयु प्राप्त हैं, गर्भधारण करने के लिए पति के वीर्य या शुक्राणु के साथ पत्नी को अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान के लिए डॉ._________________ को प्राधिकृत करते हैं।

हम समझते हैं कि भले ही डॉक्टर द्वारा अनुशंसा के अनुसार जितनी बार भी गर्भाधान दोहराया जाए, इस बात की कोई गारंटी या आश्वासन नहीं है कि इसका परिणाम गर्भावस्था या एक जीवित शिशु का जन्म होगा।

हमें यह भी बताया गया है कि गर्भावस्था के परिणाम सामान्य गर्भवती होने वाली महिलाओं के परिणाम जैसा नहीं भी हो सकता है, उदाहरण के लिए गर्भपात, एकाधिक गर्भधारण, विसंगतियां या गर्भावस्था या प्रसव संबंधी जटिलताएं हो सकती हैं।

की गई प्रक्रिया सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित नहीं करती है, न ही यह मानसिक और शारीरिक रूप से सामान्य बच्चे की गारंटी देती है। यह सहमति क्लिनिक में किए गए सभी चक्रों के लिए लागू है।

इच्छुक दंपत्ति के हस्ताक्षर

पति :

पत्नी:

एआरटी क्लिनिक द्वारा पृष्ठांकन

मैंने/हमने _________________________________और______________________________ व्यक्तिगत रूप से इस सहमति/अनुमोदन प्ररूप पर उनके/उनकी/दोनों के हस्ताक्षर करने संबंधी ब्यौरों और उसके निहितार्थों के बारे में समझाया है, और मानवीय रूप से सुनिश्चित किया है कि वे इन ब्यौरों और निहितार्थों को समझते हैं।

क्लिनिक से गवाह का नाम, पता और हस्ताक्षर

हस्ताक्षरित: _________________ (पति)

_____________________(पत्नी)

डॉक्टर का नाम और हस्ताक्षर

एआरटी क्लिनिक का नाम और पता

तारीख: